# लोकतन्त्रीय भारत में नागरिकशास्त्र-शिक्षण के लक्ष्य
## (AIMS OF CIVICS TEACHING IN DEMOCRATIC INDIA)

हम अध्याय 2 में लोकतन्त्रीय भारत की वर्तमान आवश्यकताओं एवं विशेष परिस्थितियों का विवेचन कर चुके हैं। उनको ध्यान में रखकर नागरिकशास्त्र के शिक्षण के निम्नलिखित लक्ष्यों पर बल दिया जा सकता है—

**1. लोकतान्त्रिक नागरिकता का विकास** (Development of Democratic Citizenship)—भारत ने स्वयं को एक लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया है। उसने लोकतन्त्र को शासन के स्वरूप के साथ-साथ जीवन के ढंग के रूप में भी ग्रहण किया है। दोनों ही दृष्टिकोणों से नागरिकशास्त्र द्वारा छात्रों में लोकतन्त्रीय नागरिकता का विकास किया जाना परमावश्यक है। अतः भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस उद्देश्य पर अधिक बल दिया जा सकता है। लोकतन्त्रीय नागरिकता के अर्थ को देखने से पूर्व नागरिकता का अर्थ देखना आवश्यक है। **हॉर्न** ने नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, **"नागरिकता राज्य में मनुष्य का स्थान है। क्योंकि राज्य समाज की स्थायी संस्था है और मनुष्य को अपने साथियों के साथ सदैव सुसंगठित सम्बन्धों के साथ रहना चाहिए, इसलिए नागरिकता को शिक्षा के आदर्श क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला जा सकता है।"**[1]

आधुनिक युग में उत्तम नागरिकता की धारणा को नागरिक एवं वैयक्तिक (Civic and Personal) सद्गुणों का मिश्रण माना जाता है। इसके अनुसार वैयक्तिकता के विकास तथा सामाजिक दायित्वों को एक-दूसरे का विरोधी नहीं माना जाता वरन् पूरक माना जाता है। **माध्यमिक शिक्षा आयोग** ने लोकतन्त्रीय नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, **"लोकतन्त्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें बहुत-से बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक गुण निहित हैं, जिनके अपने आप विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।"**[2]

इन गुणों को विकसित करने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। देश के विद्यालयों को इस प्रशिक्षण को प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर लेना होगा। बिना सोच-समझ के अपने वोट को देकर लोकतन्त्र को सफल नहीं बनाया जा सकता वरन् इसके सफल संचालन के लिए व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक मामलों के विषय में अपना स्वतन्त्र

---

1. "Citizenship is man's place in the state. As the state is one of the permanent institution of society and as man must ever live in organised relations with his fellows, citizenship cannot be omitted from the constituency of the educational ideal." **—H. H. Horne**
2. "Citizenship in a democracy is a very exacting and challenging responsibility for which every citizen has to be carefully trained. It involves many intellectual, social and moral qualities which cannot be expected to grow of their own accord."
**—Report of the Secondary Education Commission**, p. 23.

Scanned with CamScanner

निर्णय बनाना होगा और उसके अनुसार अपनी कार्य-प्रणाली को निर्धारित करना होगा। व्यक्ति ऐसा तभी कर सकता है जब उसमें लोकतान्त्रिक नागरिकता के गुणों का विकास किया गया हो। स्वत: प्रश्न उठता है कि व्यक्ति में किन गुणों का विकास किया जाये ? इसके उत्तर में हम **माध्यमिक शिक्षा आयोग** के शब्दों का उल्लेख कर सकते हैं—

"एक योग्य नागरिक को समझदारी एवं बौद्धिक सत्यनिष्ठा रखनी चाहिए जिससे वह असत्य से सत्य तथा प्रचार से तथ्यों को छाँटकर निकाल सके, कट्टरता एवं पक्षपात के घातक अनुरोध को रद्द कर सके। उसे स्वयं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए जिससे वह वस्तुपरक ढंग से सोच सके तथा प्रमाणित सामग्री के आधार पर अपना निर्णय बना सके। उसको सदैव खुला मस्तिष्क रखना चाहिए जिससे वह नवीन विचारों को ग्रहण कर सके और स्वयं को प्राचीन परम्पराओं, रीति-रिवाजों एवं विश्वासों की चहारदीवारी में न बाँध सके। उसे प्राचीन को इसलिए रद्द नहीं करना चाहिए क्योंकि वह प्राचीन है और न नवीन को इसलिए ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वह नवीन है वरन् उसे संयमित होकर विवेकपूर्ण ढंग से दोनों की जाँच करनी चाहिए तथा उन बातों को साहस के साथ रद्द करना चाहिए जो न्याय एवं प्रगति की शक्तियों को सीमित बनाते हैं।"[1]

योग्य नागरिक में उक्त बौद्धिक गुणों के साथ सामाजिक एवं नैतिक गुणों का होना भी आवश्यक है। उसमें अनुशासन, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहिष्णुता का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि अनुशासन नामक गुण सफल सामूहिक कार्यों के लिए अनिवार्य है। साथ ही सहयोग नामक गुण सफल सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए परमावश्यक है। इसके विकास के लिए सामाजिक अभिप्रायों हेतु छात्रों में निष्ठा उत्पन्न की जाये। सामाजिक संवेदनशीलता सामाजिक न्याय एवं अच्छे चरित्र की नैतिक आधारशिला है। सहिष्णुता के अभाव में लोकतन्त्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। अत: लोकतन्त्र के अस्तित्व को कायम रखने के लिए सहिष्णुता नामक गुण का विकास परमावश्यक है। साथ ही यह धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में भी सहायक है।

**2. नेतृत्व का विकास** (Development of Leadership)—**माध्यमिक शिक्षा आयोग** का विचार है, **"लोकतन्त्र सफलतापूर्वक तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक उसके किसी वर्ग-विशेष को नहीं वरन् समस्त लोगों को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाये और इसमें अनुशासन के साथ-साथ नेतृत्व का प्रशिक्षण निहित है।"** नेतृत्व में सामाजिक मामलों की समझदारी तथा नागरिक कुशलता निहित है। अत: नेतृत्व का विकास करने के लिए छात्रों को सामाजिक मामलों की स्पष्ट एवं गहन जानकारी प्रदान की जाये। उनमें इन्हें समझदारी के साथ सुलझाने की भी क्षमता विकसित की जानी चाहिए।

**3. राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास** (Development of National Outlook)—इस दृष्टिकोण के विकास के लिए छात्रों में निम्नलिखित भावनाओं का विकास करना आवश्यक है—

(i) अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार देश की सेवा करने की भावना।

(ii) अपने देश की निर्बलताओं को सहर्ष स्वीकार करने की भावना। साथ ही निर्बलताओं को दूर करने के लिए प्रेरित करना।

---

1. "To be effective, a democractic citizen should have the *understanding* and the *intellectual integrity* to shift truth from falsehood, facts from propaganda, to reject the dangerous appeal of fanaticism and prejudice. He must develop a *scientfic attitude* of mind to think objectively and base his conclusions on tested data. He should have an *open* mind receptive to new ideas and not confined with the prison walls of out-moded customs, traditions and beliefs. It should neither reject the old because it is old nor accept the new because it is new, but dispassionately examine both and courageously reject whatever arrests the forces of justice and progress."
**—Report of the Secondary Education Commission**, p. 24.

Scanned with CamScanner

(iii) अपने देश की उपलब्धियों को समझने एवं उनकी सराहना करने की क्षमता का विकास।

(iv) राष्ट्रीय हित के समक्ष अपने व्यक्तिगत हितों को न्योछावर करने की भावना।

**4. शासन के स्वरूप का ज्ञान प्रदान करना** (To Impart Knowledge of the form of Government)—नागरिकशास्त्र शिक्षण का एक लक्ष्य छात्रों को सरकार के स्वरूप से परिचित कराना होना चाहिए। इसके लिए उनको संघीय, राज्यीय तथा स्थानीय तीनों स्तरों के ढाँचों का ज्ञान कराया जाये। साथ ही छात्रों के उनके प्रति क्या कर्त्तव्य हैं ? उन कर्त्तव्यों का निर्वाह किस प्रकार किया जाये ? कर्त्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाने से क्या सम्भावित परिणाम निकल सकते हैं ? आदि बातों को स्पष्टतः समझाया जाये।

**5. विश्व नागरिकता की भावना का विकास** (Development of the Feeling of World Citizenship)—आधुनिक भारत में विश्व नागरिकता तथा भावनात्मक एकता के विकास के लिये नागरिकशास्त्र के प्रभावी कार्यक्रम की परम आवश्यकता है। भारत सदैव से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सभी भूमि गोपाल की' की अवधारणा में आस्था व्यक्त करता रहा है। आज के अन्तर्ग्रथित विश्व में इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। अतः भारतीय लोकतंत्र में सच्ची देशभक्ति के साथ-साथ विश्व नागरिकता के विकास को नागरिकशास्त्र शिक्षण एक प्रमुख लक्ष्य माना गया है।

**6. वैज्ञानिक प्रवृत्ति एवं आधुनिकीकरण का विकास** (Development of Scientific Temper and Modernization)—आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में निवास कर रहे हैं। ये प्रगति एवं समृद्धि के मूलाधार माने जाते हैं। अतः नागरिकशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास (Development of Scientific Temper) माना गया है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिये नागरिकशास्त्र शिक्षण द्वारा छात्र में स्पष्ट चिन्तन, भाषण तथा निर्णय के विकास पर बल दिया जाता है। वर्तमान युग में आधुनिकीकरण का प्रयोग व्यक्ति के आन्तरिक गुणों जैसे सामाजिक सम्बन्धों में विवेकशीलता तथा व्यापक दृष्टिकोण के लिये किया जाता है। आधुनिकीकरण एक गत्यात्मक संकल्पना है जिसमें परिवर्तन तथा अनुकूलन की प्रक्रिया निहित है। यह विभेदीकरण की प्रक्रिया है जो आधुनिक समाजों की विशेषताओं को व्यक्त करती है। यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। यह मानव व्यवहार तथा मामलों के विषय में नवीन ज्ञान के प्रयोग पर बल देती है।

उपर्युक्त लक्ष्यों के अतिरिक्त नागरिकशास्त्र के शिक्षण में निम्नलिखित की प्राप्ति पर बल दिया जाना चाहिए—

1. चारित्रिक गुणों का विकास।
2. मानसिक शक्तियों का विकास।
3. सामाजिक व्यवस्था का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया जाये।
4. भावात्मक एकता के विकास में सहायता प्रदान करना।

Scanned with CamScanner